(v) A programme for controlling vehicular emissions in Delhi has also been initiated.

उत्तर प्रदेश में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योग

3608. श्री ईशदत्त यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में उन उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की है जिनकी पहचान प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों के रूप में की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि ये उद्योग अभी चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन उद्योगों को चलाने हेतु अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन उद्योगों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) जी, हां। राज्य प्रदूषण नियंत्रण, बोर्ड ने उद्योगों को निर्देश दिया है कि वह एक निश्चित समय के अन्दर निर्धारित मानकों का पालन करें। दोषी इकाईयों के खिलाफ, कानूनी कार्रवाई की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण, बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित इकाइयों नामतः मैसर्स प्राइमा टैनरीज ओबारी, बाराबंकी और मैसर्स एसोसिएट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बाराबंकी को बन्द करने के नोटिस जारी किए गए हैं।

वायु और जल प्रदूषण

3609. श्री छोटू भाई पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बडे शहरों में वायु और जल प्रदूषण के संबंध में केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किये गये अध्ययनों और निगरानी के क्या निष्कर्ष रहे हैं; और

(ख) ऐसे प्रदूषण, को इनकी निर्धारित सीमा के भीतर रोके रहने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि अशोधित तथा आंशिक रूप से शोधित घरेलू मलजल, नदियों में होने वाले प्रदूषण की कुल मात्रा (आयतन में) के 75% से भी अधिक है। यह समस्या औद्योगिक बहिस्रावों के उत्सर्जन से और भी बढ़ जाती है, जिनमें प्रायः विषाक्त और चिरस्थायी रसायन निहित होते हैं। नदियों के भाग विशेषकर नगरों और औद्योगिक केन्द्रों के साथ लगते भाग भिन्न-भिन्न हद तक प्रदूषित हैं।

वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार, शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर कुल मिलाकर निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं। जबकि सल्फर डाईआक्साइड तथा नाइट्रोजन के आक्साइडों के स्तर सीमाओं के भीतर हैं, निलंबित धूल कणों के स्तर अधिक हैं। ऐसा प्राकृतिक धूल भरी परिस्थितियों तथा औद्योगिक गतिविधियों के कारण हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों और प्रमुख नदियों के अभिनिर्धारित सर्वोत्तम उपयोग के आधार पर उनके विभिन्न भागों के लिए नदी जल गुणवत्ता के मानकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उद्योगों का विशिष्ट श्रेणियों का निगरानी अपेक्षाओं के लिए भी दिशा-निर्देश जारी

किए गए हैं। जहां भी संभव हो वहां अपशिष्ट का संसाधन के रूप में उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

एशियाई देशों के वनस्पति शास्त्रियों की बैठक

3610. श्री अर्जुन जोगी :
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एशिया जैविक सम्पदा को दोहन से बचाने के लिए एशियाई देशों के प्रमुख वनस्पतिशास्त्रियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या भारत के वनस्पतिशास्त्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या निष्कर्ष रहे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 26-28 अक्तूबर, 1992 को चियांग माइ (थाईलैंड) में वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन (साइट्स) की पादप समिति की एक बैठक हुई जिसका उद्देश्य जैविक संपदा के व्यापार का जायजा लेना और साइट्स विनियमों के अन्तर्गत निवारक उपायों पर विचार-विमर्श करना था।

(ख) और (ग) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक ने इस बैठक में भाग लिया।

(घ) बैठक में साइट्स के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई और यह सिफारिश की गई कि कन्वेंशन के सभी सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइट्स को प्रजातियों और उनके व्युत्पन्नों का निर्यात और आयात मापदण्डों के अनुसार ही हो। यह भी सिफारिश की गई कि साइट्स विनियमों के कार्यान्वयन गैर-सदस्य देशों का भी निकट सहयोग प्राप्त किया जाए, इसके अलावा साइट्स प्रजातियों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए सभी उचित उपाय किए जाएं।

Export of Marble from Aravalis

3611. SHRI RAM NARAYAN GOSWAMI :

SHRI SUNIL BASU RAY :

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have permitted export of marble mainly from Aravalis at the cost of environment of the area; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) and (b) Export of Marble is not covered under Export Trade Contro' Order and is therefore, freely allowed. However, prior approval of Central Government is essential before a mining lease is granted in respect of any forest area and the approval, when accorded, is subject to effective implementation of environmental safeguards. In the case of Aravalis, the provisions of the Notification under Environment (Protection) Act, 1986 dated 7th May, 1992 are applicable.

Representation from Lok-Raj Suraksha Samiti regarding Pollution by M/s. Associated Distillery Limited

3612. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government have received representation from Lok-Raj Surakshsi